न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी श्री कुलदीप सिंह शेखावत (आर.ए.एस.)

अपील सं. 08/2025 दर्ज दिनांक–07.07.2025
जीएमएस नं. –2025/368

सुभिता पुत्री सांवरमल जाति नाई निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू

– अपीलान्ट

बनाम

1. बलबीर पुत्र सांवरमल
2. संतरा देवी पत्नी सांवरमल
3. मंजू पुत्री सांवरमल
4. किरण पुत्री सांवरमल समस्त जाति नाई निवासी परसरामपुरा, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुंनू
5. जरिये प्रशासक/सरपंच ,ग्राम पंचायत परसरामपुरा

–रेस्पोडेन्ट

वकील अपीलार्थी : – श्री किशोर कुमार जांगिड, श्री प्रदीप झाझडिया
वकील रेस्पोडेन्ट :– अनुपस्थित

अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.टी.ए. विरूद्व नामान्तकरण आदेश सं. 3669 दिनांक 24.06.2025 ग्राम पंचायत परसरामपुरा, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

:: निर्णय ::

निर्णय दिनांक 13.10.2025

आवेदक द्वारा अपील प्रा0 पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि, ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा पारित/तस्दीक किया गया नामांतकरण सं. 3669 दिनांक 24.06.2025 जो खाता सं. 56 की भूमि खसरा नं. 1652,1656,1657,1658 में खातेदार सांवरमल पुत्र द्वारका प्रसाद की विरासत का दर्ज किया है, को निरस्त किया जाकर अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 के नाम से पुनः नामंतकरण दर्ज किया जावे।

अपील पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर की गई तथा तलबी रेस्पोडेन्ट की जारी की गई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 5 बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित।

बहस अपीलान्ट पेश होने पर बगौर सुनी गई। वकील अपीलान्ट ने कथन किया की ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा नामान्तकरण सं. 3669 दिनांक 24.06.2025 मे पारित आदेश मे त्रुटी की है, विरासत के नामान्तकरण में कुछ वारिसान के नाम दर्ज करने व कुछ को छोड देने का कोई प्रावधान नही है। उक्त नामान्तकरण भरे जाते समय पूर्ण रूप से वारिसानों की जॉच नही की गई है और नामान्तकरण केवल रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 3 के नाम दर्ज किया गया है। जबकी

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

नामान्तकरण खातेदार सांवरमल पुत्र द्वारका प्रसाद की विरासत के तहत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 4 के नाम भरा जाना चाहिए था। इसलिये ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा नामान्तकरण सं. 3669 दिनांक 24.06.2025 मे पारित आदेश खारीज किया जावे तथा पुनः विरासत की जॉच करते हुये नामान्तकरण दर्ज/तस्दीक किये जाने के आदेश दिये जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण आदेश सं. 3669 दिनांक 24.06.2025 जारी किये जाने से पूर्व विरासत/वारिसान की पूर्ण रूप से जॉच नही की है, जो त्रृुटीपूर्ण व विधिसम्मत नही है।

लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा ग्राम पंचायत परसरामपुरा द्वारा पारित नामान्तकरण आदेश सं. 3669 दिनांक 24.06.2025 तत्काल प्रभाव से खारिज किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मृतक खातेदार के वारिसानो/विरासत की पूर्ण रूप से जॉच किये जाने के उपरान्त विधिसम्मत पाये जाने पर पुनः नामान्तकरण भरा जावे।

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि, प्रश्नगत नामान्तकरण के सम्बन्ध में पक्षकारो से आवश्यक जॉच करते हुये, विधिसम्मत पाये जाने पर ही नामान्तकरण भरा जावे तथा तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 13.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुलदीप सिंह शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला-झुझुंनू